

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1984/वैशाख 11, 1906
No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1984/VAISAKHA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1984

सं. 119/84-सी.ए.

का. जा. 347(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962
का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 75/75-

सीमा-शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में, वाराणसी से सम्बन्धित क्रम संख्या 3 के सामने स्तम्भ 3 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“निर्यात माल या ऐसे माल के किसी वर्ग का लदान ।”

[फा. सं. 481/21/84-सी.शु.-7]

टी. एच. के. गौरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 1984

No. 119/84-Customs

S.O. 347(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75/75-Customs, dated the 3rd July, 1975, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against serial No. 3 relating to Varanasi, in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“The loading of export goods or any class of such goods.”

[F. No 481/21/84-Cus VII]

T.H.K. GHOURI, Under Secy.